

आदेश

डा० प्रकाश सिंह वादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फरविसगंज, डा० प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया एवं श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईट्टी ऑपरेटर का एक दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप से अररिया जिला में नाजुक स्थित को देखते हुए उपरोक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनसे प्राप्त कागजातों के अवलोकनोपरान्त निम्नांकित निदेश निर्गत किए जाते हैं -

1. डा० प्रकाश सिंह वादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का संपादन सही तरीके से करेंगे एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के निदेशानुसार लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष ध्यान देंगे।
2. श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईट्टी ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय फारविसगंज समय पर चिकित्सालय आएंगे एवं अपने नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार विभागीय कार्यों का सम्पादन करेंगे।
3. डा० प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया निहित प्रशासनिक शक्ति के अंदर ही कार्य करेंगे। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की गयी इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति निदेशक, पशुपालन विहार, पटना के आदेश की अवहेलना होगी। यदि कार्य हित में इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो, तब ऐसा करने के पूर्व निदेशक, पशुपालन विहार, पटना से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। पशु चिकित्सकों को उनके पदस्थापित पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य आवंटित करते समय पशु चिकित्सालय की दूरी को ध्यान में रखेंगे ताकि पशु चिकित्सालय का मूल कार्य प्रभावित न हो। पूर्व में की गयी इस तरह की व्यवस्था में अपने स्तर से आवश्यक सुधार कर लेंगे।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूरणयो प्रमण्डल, पूणयो।

ज्ञापांक-764... / दिनांक 16/09/19

प्रतिलिपि - श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईट्टी ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय फारविसगंज / डा० प्रकाश सिंह वादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फरविसगंज / डा० प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूरणयो प्रमण्डल, पूणयो।

16/09/19